

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा  
प्रकरण संख्या- 03/2019 दायर दिनांक-06/03/2019

उनवान

1. मोहसीन हुसैन पिता स्व. श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क।
2. श्रीमती सायरा बी पत्नी स्वं श्री मोहम्मदघाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क  
निवासीयान मलवासा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) (वादीगण)

बनाम

1. जाकिर हुसैन पिता स्व.श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क।
2. मुनीर हुसैन पिता स्व. श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क।
3. नासर हुसैन पिता स्व. श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क।
4. अख्तर हुसैन पिता स्व. श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क  
निवासीयान मलवासा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
5. तहसीलदार तहसील बांसवाडा (राज.) (प्रतिवादीगण)

उपस्थिति

1. श्री तस्लीम अहमद

अधिवक्ता वादीगण

वाद अंतर्गत धारा- 53, 209 आर.टी एक्ट


निर्णय

दिनांक:-24.07.23

न्यायालय हाजा से जारी आदेश प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.10.22 को पालना रिपोर्ट तहसीलदार बांसवाडा के पत्रांक राजस्व/2022/3526 दिनांक 06.12.22 को एवं पत्रावली दिनांक 31.01.23 को पेश हुयी जो शामिल मिसल की जाकर बहस पर मुकर्रर की गयी।

दिनांक 28.03.23 को दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट को ही अंतिम डिक्री के रूप में आदेश फरमाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी श्री तस्लीम अहमद ने प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु सहमति व्यक्त की।

वाद सहमति हम फाइनल डिक्री करना उचित समझते है। प्रारम्भिक डिक्री को ही अंतिम डिक्री के रूप में निर्णित किया जाता है।

  
अधिकारी (राज.)



**डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई**

(आ. 20 नियम 17 जाळा दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी , मुकाम : बांसवाडा व इजलास :

प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2019

उनवान मुकदमा

1. मोहसीन हुसैन पिता स्व.श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क।
2. श्रीमती सायरा बी पत्नी स्वं श्रीमोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासीयान मलवासा तहसील व जिला बांसवाडा(राज) (वादीगण)

**बनाम**

1. जाकिर हुसैन पिता स्व. श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क।
2. मुनीर हुसैन पिता स्व. श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क।
3. नासर हुसैन पिता स्व. श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क।
4. अख्तर हुसैन पिता स्व. श्री मोहम्मद घाँची जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासीयान मलवासा तहसील व जिला बांसवाडा (राज)
5. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बांसवाडा (राज.) (प्रतिवादीगण)

वाद बाबत् बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


**निर्णय**

दिनांक:- 24/07/2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबुरु हमारे पेश होकर हुवम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। बाद सहमति प्रतिवादी प्रारम्भिक डिक्री को अंतिम डिक्री के रूप में निर्णित किया जाता है।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिंग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बांसवाडा (राज.)

बसन्त गेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 24.07.23 को जारी की गई।

प्रकाश चन्द्र रेग्रे  
उपखण्ड अधिकारी  
बांसावाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य

प्रकाश चन्द्र रेग्रे  
उपखण्ड अधिकारी  
बांसावाड़ा